3. सैद्धांतिक लेखापरीक्षा

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.1 विद्युत प्रभारों के कारण बकाया का संचय

प्रस्तावना

3.1.1 बेची गई विद्युत के लिए समय पर बिलिंग और प्रभारों का संग्रहण विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कोमज) के लिए उचित नकद प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी), एक डिस्कोम, दो जोन्स (हिसार तथा दिल्ली) में हिसार, सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा नारनौल नामक छः आपरेशन सर्कलज के माध्यम से राज्य के 10 जिलों[@] में विद्युत आपूरित करता है। प्रत्येक जोन का अध्यक्ष, मुख्य अभियंता (परिचालन) होता है जिसकी सहायता आगे प्रत्येक तीन अधीक्षक अभियंताओं (एस.ईज) द्वारा की जाती है। कंपनी के पास 31 मार्च 2012 को 23.78 लाख कनैक्शनों का उपभोक्ता आधार था।

हमने, चूक राशि की मात्रा के आधार पर चुने गए, कंपनी के छः आपरेशन सर्कलों में से तीन आपरेशन सर्कलों[Δ] में 13[*] आपरेशन सब-डिवीजनों तथा हैड आफिस में कंपनी के विद्युत प्रभारों के कारण बकाया प्राप्यों की संवीक्षा की।

कंपनी का बिक्री परिपत्र डी-33/2006 निर्धारित करता है कि विद्युत प्रभार बकायों का संचय, उपभोक्ता की अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.), जो दो बिलिंग चक्कर[Υ] की राशि के समतुल्य है, से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

@ हिसार, सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, नारनौल, फतेहाबाद, नूंह, रेवाड़ी तथा पलवल।

Δ हिसार, गुड़गांव तथा फरीदाबाद।

* सिविल लाईन, हिसार; सिटी हिसार, सतरोड़; हांसी सब अर्बन, मुंढाल; नारनौल; सिटी सब डिवीजन, टोहाना; नं. 3, फरीदाबाद एन.आई.टी.; नं. 4 ओल्ड फरीदाबाद; मथुरा रोड, ओल्ड फरीदाबाद; खेडीकलां, ओल्ड फरीदाबाद; नं. 1 बल्लभगढ़ तथा के.सी.जी. उपमण्डल गुडगांव।

Υ उपभोक्ताओं की घरेलू तथा गैर घरेलू श्रेणियों के लिए द्विमासिक तथा उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए मासिक।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.1.2 जुलाई 2012 में अभ्युक्तियां सरकार/प्रबन्धन को सूचित की गई तथा सितंबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई जिसमें कंपनी के मुख्य आडिटर तथा अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने भाग लिया। पैरा को अंतिम करते समय सरकार/प्रबन्धन के विचार ध्यान में रखे गए।

लम्बित बकाया

3.1.3 हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने वर्ष 2011-12 के लिए ए.आर.आर. पर आदेश जारी करते हुए सुझाव दिया कि महंगे लघु अवधि उधारों की जरूरत कम करने तथा नकद चक्र सुधारने के लिए सरकारी विभागों से देयों सहित पुराने देयों की जल्दी वसूली के लिए कायम अभियान शुरू करने के अतिरिक्त कुशल राजस्व संग्रहण उपाय लागू किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता थी। वर्ष के आरम्भ में कंपनी के संबंध में लम्बित बकायों का वर्णन, वर्ष के दौरान बिल किए गए राजस्व और वसूली गई राशि तथा 31 मार्च 2012 को पांच वर्षों की अवधि के अंत में बकाया शेष नीचे वर्णित हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	वर्ष के दौरान बिल किए गए राजस्व	3,329.52	3,919.90	4,404.98	5,304.71	6,495.76
2	वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	1,388.07	1,563.16	1,846.75	1,902.21	1,914.46
3	वसूली के लिए देय कुल राशि (1+2)	4,717.59	5,483.06	6,251.73	7,206.92	8,410.22
4	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	3,154.43	3,636.31	4,349.52	4,956.35	6,230.53
5	वर्ष के दौरान समायोजित अवसूलित अधिभार की राशि	-	-	-	336.11	-
6	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,563.16	1,846.75	1,902.21	1,914.46	2,179.69
7	बिल किए गए महीनों की संख्या के निबंधन में बकाया	5.63	5.65	5.18	4.33	4.03

हमने देखा:

- अप्रैल 2007 में बकाया शेष ₹ 1,388.07 करोड़ से मार्च 2012 में आश्चर्यजनक रूप से ₹ 2,179.69 करोड़ तक बढ़ गए, देनदारों में वृद्धि ₹ 791.62 करोड़ तक थी। यद्यपि बिल की गई राशि के महीनों की संख्या के संबंध में बकाया 5.63 से 4.03 तक कम हो गए लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा चलाई गई 'बकाया/प्रभार अधित्याग स्कीमों' के अंतर्गत 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 570.15 करोड़* के अधित्याग के संबंध में देखी जानी चाहिए।

* 2007-08 के दौरान ₹ 457.54 करोड़, 2008-09 के दौरान ₹ 81.60 करोड़, 2009-10 के दौरान ₹ 23.07 करोड़ तथा 2010-11 के दौरान ₹ 7.94 करोड़।

- 31 मार्च 2012 को ₹ 2,179.69 करोड़ (अंतर्राज्यीय विद्युत की बिक्री: ₹ 179.64 करोड़ सहित) के उपर्युक्त देयों के आयुवार विश्लेषण ने प्रकट किया कि इसमें तीन वर्षों से अधिक हेतु बकाया ₹ 445.50 करोड़, दो वर्षों से ज्यादा लेकिन तीन वर्षों के कम हेतु बकाया ₹ 299.40 करोड़, एक वर्ष से ज्यादा लेकिन दो वर्षों के कम हेतु बकाया ₹ 286.76 करोड़ तथा एक वर्ष के कम हेतु बकाया ₹ 968.39 करोड़ शामिल थे। यह दर्शाता है कि अनुदेशों के अनुसार बकाया राशि वसूल करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए थे, जिसे केवल दो बिलिंग चक्र तक बकाया राशि के प्रतिबंध की जरूरत है।

- ₹ 2,179.69 करोड़ के बकाया देनदारों में ₹ 2,000.05 करोड़ के शुद्ध देनदारों को छोड़कर विद्युत की अंतर्राज्यीय बिक्री के ₹ 179.64 करोड़ शामिल थे, जबकि बकाया देनदार उपभोक्ता लैजरज के अनुसार ₹ 1,881.67 करोड़ थे। आंकड़ों के दो सैट में ₹ 118.38 करोड़ का अंतर था जिसने सही आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाई। कंपनी ने बताया (मई 2012) कि आंकड़ों में अंतर का मिलान किया जा रहा है।

कनैक्टिड चूकर्ताओं से वसूलनीय देय

3.1.4 कंपनी के 'बिक्री मैनुअल' तथा 'विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से संबंधित विनियम' प्रावधान करते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का भुगतान करने में विफल रहता है तो संबंधित सब-डिवीजन के वाणिज्यिक सहायक (सी.ए.) को 15 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद एक अस्थाई वियोजन आदेश (टी.डी.सी.ओ.) जारी करना चाहिए तथा फिर टी.डी.सी.ओ. से 30 दिनों की समाप्ति के बाद स्थाई वियोजन आदेश (पी.डी.सी.ओ.) जारी करना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता (फील्ड) को एक सप्ताह के अंदर टी.डी.सी.ओ., पी.डी.सी.ओ. (अनुपालन रिपोर्ट) की विवरणी सी.ए. को सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उप-मंडलीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) को सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए कार्य विधिवत् पूरे किए जाते हैं। किसी भी मामले में बकायों का संचय उपभोक्ता की उपभोग प्रतिभूति (दो बिलिंग चक्र के समान) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2012 को समाप्त 5 वर्षों के लिए राजस्व के बकायों की श्रेणीवार स्थिति ***परिशिष्ट 10*** में दर्शाई गई है।

31 मार्च 2012 को ₹ 1183.01 करोड़ के बकाया देय वाले 4,54,188 चूककर्त्ता थे।

हमने अवलोकित किया कि 31 मार्च 2012 को ₹ 1,183.01 करोड़ की राशि के बकाया देय वाले 4,54,188 संयोजित चूककर्त्ता थे। 2007-08 में चूककर्त्ता कुल उपभोक्ताओं के 16.40 प्रतिशत से 2011-12 में 19.09 प्रतिशत तक बढ़ गए थे। मामला, आडिट रिपोर्ट (वाणिज्यिक)-2006-07 हरियाणा सरकार के पैरा संख्या 2.3.31 में भी चर्चित किया गया था। मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में चूककर्त्ताओं से बकाया देय बढ़ गए थे। एग्रीकल्चर पम्प सैट (ए.पी.) उपभोक्ताओं से चूक ₹ 24.25 करोड़ (85.42 प्रतिशत) तक, गैर-रिहायशी आपूर्ति (एन.डी.एस.) उपभोक्ताओं से ₹ 39.42 करोड़ (63.23 प्रतिशत) तक, घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) ग्रामीण उपभोक्ताओं से ₹ 200.76 करोड़ (50.50 प्रतिशत) तक, घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) शहरी उपभोक्ताओं से ₹ 22.03 करोड़ (27.59 प्रतिशत) तक और औद्योगिक उपभोक्ताओं से ₹ 8.38 करोड़ (14.99 प्रतिशत) तक बढ़ गई थी। चूक राशि में लगातार बढ़ोतरी इस प्रवृति की सूचक थी कि उपभोक्ताओं द्वारा समय पर उनके देय समाशोधित ना करने के बावजूद उनकी विद्युत आपूर्ति अस्थाई रूप से भी

वियोजित नही की जा रही थी। सरकारी विभागों से चूक राशि 2007-08 में ₹ 275.63 करोड़ से 2011-12 में ₹ 264.16 करोड़ (4.16 प्रतिशत) तक मार्जिन रूप में कम हो गई।

13 उप-मंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि मार्च 2012 को 79,158 उपभोक्ता ₹ 328.82 करोड़ के देनदार थे जो 1990-91 से मार्च 2012 तक संचित हुए थे। हमने देखा:

- उप-मंडलों द्वारा अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान 79,158 उपभोक्ताओं में से 60,542 मामलों (76.48 प्रतिशत) में टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज जारी किए गए थे तथा इन टी.डी.सी.ओज में से केवल 22,131 मामलों (36.55 प्रतिशत) में प्रभावित थे। कंपनी इन सभी मामलों में तत्रैव अनुदेशों के कार्यान्वयन में विफल रही क्योंकि ये सारे उपभोक्ता सिस्टम से कनैक्टिड थे तथा विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे (मार्च 2012)। कंपनी द्वारा टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज के जारी न करने/प्रभावी न करने के कारण कंपनी को हानि हेतु दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- मुंढाल तथा नारनौल उप-मंडलों में 15,674 उपभोक्ताओं के विरूद्ध ₹ 174.90 करोड़ 17 वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे।

- मिनी सचिवालय (एन.डी.एस) गुड़गांव के मामले में ₹ 1.55 करोड़ के देय दो वर्षों से अधिक समय से बकाया थे (अक्तूबर 2012)।

- जन स्वास्थ्य विभाग (पी.एच.डी.), हिसार ने चार कनैक्शनों में भुगतान में चूक की (मई 2009)। चूक में ₹ 3.85 करोड़ तक की राशि संचित हो गई थी (अक्तूबर 2012)। विभाग ने ₹ 16.10 लाख (खाता सं. एन.जी.पी.डब्ल्यू-005) का भुगतान अस्वीकार कर दिया तथा ₹ 1.11 करोड़ (खाता सं. एम.सी.पी.डब्ल्यू-0001) के देयों का विवाद किया। ₹ 2.58 करोड़ का शेष जो विवादित नहीं था, वसूल नहीं किया गया था (अक्तूबर 2012)।

  एच.ई.आर.सी. ने बिलों के अभुगतान की घटनाओं को कम करने के लिए सरकारी भवनों में प्रीपेड मीटरों के प्रतिष्ठापन के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाने हेतु कंपनी को निदेश दिया (मई 2011)। कंपनी ने बताया (नवंबर 2012) कि प्रीपेड मीटरों की खरीद के लिए विनिर्देशन प्रक्रिया में हैं।

- एक मामले[λ] में बृहद् आपूर्ति (एल.एस.) श्रेणी कनैक्शन साफ्टवेयर बिजनेस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत किया गया। यद्यपि, कंपनी के मीटरिंग और प्रोटैक्शन (एम. एंड पी) मंडल ने जुलाई 2005 और फरवरी 2006 में कनैक्शन की प्रकृति काल सैन्टर के रूप में दर्शाया था। तदनुसार, आन्तरिक आडिट विंग ने इसे एल.एस. श्रेणी की बजाय एन.डी.एस. श्रेणी (जहां शुल्क दर कम थी) माना (फरवरी 2007) तथा ₹ 57 लाख की राशि प्रभारित की लेकिन यह वसूल नहीं की गई। उपभोक्ता द्वारा किए गए अभिवेदन पर, कंपनी के एम. एंड पी. मण्डल द्वारा परिसर की पुन: जांच की गई (25 अक्तूबर 2007) तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिसर में साफ्टवेयर

λ मैसर्ज हैक्टर इन्टरप्राईजिज, उद्योग विहार, गुड़गांव का खाता नं. एच.एल.एस.-18

बिजनेस चलाया जा रहा था और इस प्रकार कनैक्शन सही ढंग से एल.एस. श्रेणी के अर्न्तगत श्रेणीबद्ध किया गया था। मुख्य आडिटर ने आपरेशन सर्कल, गुड़गांव को निदेश दिया (30 अक्तूबर 2007) कि एम. एंड पी. डिवीजन के सहयोग से कनैक्शन की पुन: जांच की जाए तथा परिसर की 22 जून 2011 को विलंब से पुन: जांच की गई थी। उस समय तक उपभोक्ता, परिसर खाली कर चुका था। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा परिसर निरीक्षण में तीन वर्षों से ज्यादा की इस देरी के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2012 तक ₹ 1.47 करोड़ (अधिभार सहित) के राजस्व की हानि हुई।

कंपनी ने उपभोक्ता के परिसर निरीक्षण में विलंब के कारण ₹ 1.47 करोड़ के राजस्व की हानि उठाई।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2012) कि संबंधित चूककर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करना सामाजिक राजनैतिक कारणों के कारण मुश्किल थी जो कि कंपनी की ओर से इच्छा और कार्ययोजना के अकार्यान्वयन और इन देयों की वसूली हेतु सरकार द्वारा सख्त उपाय किए जाने की कमी की सूचक है।

उन्होंने आगे बताया कि बुरे और संदेहास्पद ऋण घटित होने ही थे क्योंकि बिजली का वितरण वृहद् और अत्यधिक विभिन्न उपभोक्ता मिश्रण के कारण हाई रिस्क बिजनेस है और देय की वसूली के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि कानूनी रूप से बाध्य अनुदेश इसे लागू करने के लिए सभी कदम उठाते हुए सख्ती से कार्यान्वित किए जाने चाहिए। अत: अकार्यान्वयन कमजोर प्रबन्ध को सूचित करता है।

स्थाई रूप से वियोजित चूककर्त्ताओं से वसूलनीय देय

3.1.5 कंपनी के अनुदेशों के अनुसार पी.डी.सी.ओ. के बाद, देयों की वसूली हरियाणा सरकार विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम 1970, के प्रावधान के अन्तर्गत एस.डी. समायोजित करने के पश्चात् राजस्व के बकायों के रूप में की जा सकती है। हमने देखा कि ₹ 336.11 करोड़ वसूल न किए गए अधिभार के समायोजन के बाद स्थाई रूप से वियोजित उपभोक्ताओं से बकाया राशि 31 मार्च 2012 को ₹ 244.19 करोड़ थी। इसमें विविध प्राप्तियों के कार। वसूलनीय ₹ 1.12 करोड़ शामिल थे लेकिन कोई विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं थे। कंपनी ने बताया कि ₹ 1.12 करोड के उपर्युक्त देनदार 1 जुलाई 1999 से पहले की अवधि से सम्बन्धित थे तथा इसके मंडलवार विघटन पता लगाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

स्थाई रूप से वियोजित उपभोक्ताओं से बकाया राशि 31 मार्च 2012 को ₹ 244.19 करोड़ थी।

13 उप-मंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि मार्च 2012 को 44,413 स्थाई रूप से वियोजित उपभोक्ता 1990-91 से मार्च 2012 तक के देनदार थे। हमने देखा कि:

- चार उप-मंडलों* में, 9,624 उपभोक्ता (21.67 प्रतिशत) 1990-91 से मार्च 2012 तक की अवधि से संबंधित 18.87 करोड़ (24.18 प्रतिशत) के देनदार थे।
- कंपनी ने 784 मामलों में ₹ 0.45 करोड़ की ए.सी.डी. समायोजित की तथा शेष 43,629 मामलों में, ए.सी.डी. अब तक समायोजित नहीं की गई थी।

---

* शहर उप-मंडल, टोहाना; नं. 4, ओल्ड फरीदाबाद; मथुरा रोड़, ओल्ड फरीदाबाद; खेड़ी कलां, ओल्ड फरीदाबाद तथा के.सी.जी. उपमण्डल, गुड़गांव।

- कुल 44,413 चूककर्त्ता उपभोक्ताओं में से केवल 4,399 मामले (9.90 प्रतिशत) भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के लिए भू-राजस्व अधिकारियों को भेजे गए थे।

- सतरोड़ उप-मंडल में एक मामले में (मैसर्ज भानू स्टील, सतरोड़ खाता संख्या एल.एस.-27) अप्रैल 1997 से जुलाई 1998 की अवधि के दौरान राशि ₹ 0.52 करोड़ तक संचित हो गई और उपभोक्ता सिस्टम से संयोजित रहा जबकि कंपनी के पास ए.सी.डी. केवल ₹ 15.20 लाख थी जो पी.डी.सी.ओ. के निर्गम के बाद जुलाई 1998 में समायोजित की गई थी। यद्यपि, जून 2008 से जुलाई 2011 के दौरान उपभोक्ता द्वारा ₹ 13 लाख जमा किए गए थे, ₹ 23.80 लाख की राशि अभी भी बकाया थी।

- शहर हिसार उप-मंडल में पांच मामलों[#] में पी.डी.सी.ओज के निर्गम से पूर्व ₹ 39.82 लाख (₹ 1.05 करोड़ कुल बकाया) संचित हो गई थी जबकि कंपनी के पास ए.सी.डी. केवल ₹ 0.61 लाख थी।

कंपनी ने तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार करते समय बताया कि एच.ई.आर.सी. ने भी कंपनी को सभी एस.डी.ओज (संचालन), जिनके क्षेत्रों में ऐसे चूककर्त्ता (सिवाय मुकदमे वाले मामलों में) अभी भी विद्यमान थे, को अनुदेश जारी करने तथा ऐसे कनैक्शनज एक माह की अवधि के अन्दर वियोजित करने हेतु निर्देश दिए थे। जिसकी विफलता पर वे व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी ठहराए जाएंगे तथा उनके विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले में की गई कार्रवाई के बारे में तथा की गई प्रगति के बारे में द्विमासिक रिपोर्ट एच.ई.आर.सी. को नियमित रूप से भेजी जानी थी। अभी तक कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है (नवंबर 2012)।

अस्थाई आपूर्ति उपभोक्ताओं के विरूद्ध चूक में राशि

3.1.6 अस्थायी कनैक्शनों के मामले में देयों की आवृति हेतु कंपनी की बिक्री नियमावली प्रतिभूति की पर्याप्तता की अपेक्षा करती है। बिक्री नियमावली के अनुदेश 1.33 के अनुसार यदि मासिक बिल की राशि पहले से जमा ए.सी.डी. से ज्यादा पाई जाती है, तो संबंधित उपभोक्ताओं की ए.सी.डी. बढ़ानी पड़ती है। आगे, एस.डी.ओ. द्वारा बिलों की वसूलियां भी नियमित रूप से मॉनीटर करनी पड़ती हैं और भुगतान में एक महीने की चूक के मामले में आपूर्ति तुरंत डिस्कनैक्ट करनी पड़ती है।

[#] देवेन्द्र कुमार, सोहन लाल, अरोड़ा पॉल्ट्री फार्म, मैसर्ज गणेश आटा तथा श्री भरत लाल (₹ 1 लाख से अधिक के बकाया वाले मामले)।

13 उप-मंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि नौ उप-मंडलों[+] में ए.सी.डी. के समायोजन के बाद मार्च 2012 को 219 अस्थाई उपभोक्ताओं से ₹ 1.25 करोड़ वसूलनीय थे। यह वसूलनीय राशि 2007 और आगे की अवधि से सम्बन्धित थी। इन उपभोक्ताओं के उनके ए.सी.डी. से ज्यादा बकायों के संचयन के कारण अभिलेखों में नहीं थे। चूंकि सारे कनैक्शन पहले से ही वियोजित कर दिए गए थे, ₹ 1.25 लाख की वसूली के अवसर कम थे। कंपनी ने अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जिन्होंने एक महीने के भुगतान की चूक के बाद चूककर्त्ता अस्थाई उपभोक्ताओं को तुरंत वियोजित नहीं किया तथा देनदारों को संचय करने हेतु अनुमत कर दिया था।

कंपनी ने बताया (मई 2012) कि मामला संबंधित उप-मंडल के साथ उठाया गया था।

चोरी मामलों में देयों की वसूली

3.1.7 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 प्रावधान करती है कि जो कभी बेइमानी से अंडरग्राउंड, ओवरहेड के साथ कोई संयोजन बनाता है या बनाने का प्रयत्न करता है कोई छेड़छाड़ करता है या एक मीटर के साथ हस्तक्षेप करता है या विद्युत मीटर, अपरेटस को नष्ट करता है, टैम्परड मीटर के द्वारा विद्युत का प्रयोग करता है, प्रयोजन जिस हेतु विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत किया गया था, से अन्य प्रयोजन के लिए विद्युत का प्रयोग करता है तो जेल (3 वर्षो तक) अथवा जुर्माना (अवैध वित्तीय लाभों पर निर्भर करते हुए) के साथ या दोनों के लिए दण्डनीय होगा। लाइसेंसी या सप्लायर जैसा भी मामला हो विद्युत की ऐसी चोरी के पता लगने पर तुरन्त आपूर्ति को वियोजित करता है, लाइसेंसी या सप्लायर का ऐसे अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे वियोजन के समय से 24 घटों के भीतर उस अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध करने के संबंध में लिखित में शिकायत दर्ज करवाएगा। उपभोक्ता को राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। यदि अपराधी 72 घटों के अंदर कम्पाउन्डिंग की राशि जमा नहीं कराता है, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जानी थी। आगे, यदि पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है, कंपनी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपयुक्त न्यायालय में सीधे ही केस फाइल करेगी।

कंपनी ने, चोरी मामलों पर लगाई गई शास्ति के विरूद्ध ₹ 140.54 करोड़ वसूल नहीं किए।

31 मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षो की अवधि के दौरान हमने देखा कि 1,03,083 चोरी के मामले पता लगाए गए थे तथा ₹ 217.55 करोड़ की राशि का जुर्माना लगाया गया था। इसमें से ₹ 77.01 करोड़ (35.39 प्रतिशत) की राशि कंपनी द्वारा वसूल कर ली गई थी। शेष 50,622 मामलों में, कंपनी ने प्राधिकृत पुलिस अधिकारियों के पास एफ.आई.आर. दर्ज की। इसके विरूद्ध, केवल 2,324 (4.59 प्रतिशत) मामले वस्तुत: पंजीकृत हुए थे। शेष 48,298 मामलों में, जहां पुलिस प्राधिकारियों द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी, कंपनी प्राधिकारियों ने न्यायलयों में केस दर्ज नहीं किए। कोर्ट में मामले फाइल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 140.54 करोड़ की अवसूली हुई। कंपनी ने अपराधी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

[+] सिविल लाईन हिसार, सिटी हिसार, नारनौद, सिटी टोहाना, खेड़ीकलां, उप-मंडल नं. 4 फरीदाबाद, उप-मंडल नं. 3 फरीदाबाद, मुढाल तथा उप-शहर, हांसी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान पैरे के तथ्यों के साथ सहमत होते समय अपर प्रधान सचिव ने सूचित किया कि सरकार द्वारा बिजली की चोरी रोकने के लिए तथा वसूली वृद्धि के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

निष्कर्ष

- **कंपनी की एरियर स्थिति तेजी से खराब हो रही है। इसने टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज के समय पर निर्गम हेतु बिक्री नियमावली के अनुदेश कार्यान्वित नहीं किए।**

- **अप्रभावी वसूली कार्रवाई के कारण कंपनी को कार्यचालन पूंजी ऋणों पर ब्याज का भार इसकी वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करते हुए वहन करना पड़ा।**

अनुशंसाएं

कंपनी को:

- **इसकी वसूली प्रक्रियाओं और स्थिति को सुधारने के लिए कदन उठाने चाहिए।**

- **टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज समय पर जारी करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।**

- **इसकी समग्र बिलिंग और संग्रहण सिस्टम की समीक्षा की जाए, ताकि नकद प्रवाह चक्र में सुधार आए जिसके परिणामस्वरूप उधारों में कमी हो तथा कंपनी की द्रवता स्थिति सुधरे। इससे अन्ततः शुल्क दर का निर्णय करते समय उपभोक्ता को लाभ मिलेगा।**

हरियाणा वित्तीय निगम

3.2 पुराने समायोजन स्कीमों का कार्यान्वयन

प्रस्तावना

3.2.1 राज्य में औद्योगिक वृद्धि बढ़ाने के लिए लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय निगम (एस.एफ.सीज) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अप्रैल, 1967 में हरियाणा वित्तीय निगम (निगम) की स्थापना की गई थी। इसकी शुरूआत से मई 2010 तक निगम ने 18,531 इकाइयों को ₹ 2,870.40 करोड़ की मंजूरी दी थी और 17,160 इकाइयों को ₹ 1,781.60 करोड़ वितरित किए। निगम ने मई 2010 में अपनी वितरण क्रिया को इसके संचालन को अव्यवहार्य देखते हुए रोक दिया तथा केवल वसूली प्रक्रिया ही संचालन में है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2.2 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) हरियाणा सरकार में निगम के कार्यचालन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल की गई थी जिसमें 'वन टाइम सैटलमैंट स्कीम' कवर की गई थी। कोपु ने जून 2011 में निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की। कोपु ने कोई अनुशंसा नहीं की क्योंकि सरकार, निगम के क्रियाकलापों को बंद करने का संकल्प ले चुकी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा संवीक्षा 'पुरानी अनिष्पादक परिसम्पतियों[♣] (एन.पी.ए.) तथा हानि परिसम्पतियों[♦] के समझौता व्यवस्थापन की नीति', जिसे अप्रैल 2008 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान वन टाइम सैटलमैंट स्कीम (ओ.टी.सी.) रूप में भी जाना जाता था, के अंतर्गत समायोजित मामले आवृत्त करती है।

♣ अनिष्पादक परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त 90 दिनों से ज्यादा तक अतिदेय रहती हैं।

♦ हानि परिसंपत्तियां वे हैं जिनके संबंध में निगम के साथ प्रतिभूति दोनों मुख्य (यूनिट स्वयं अर्थात् भूमि, भवन तथा मशीनरी) तथा गौण प्रतिभूतियों (मुख्य प्रतिभूति को पूरा करने हेतु) प्रतिभूति का निपटान कर दिया गया है तथा बिक्री समझौता निष्पादित किया जाना बाकी है तथा बिक्री राशि का 100 प्रतिशत निगम द्वारा इसकी वसूली की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाना बाकी है।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.3 हमारे लेखापरीक्षा परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित हैं। जुलाई 2012 में सरकार/प्रबंधन को परिणाम सूचित किए गए थे तथा दिसम्बर 2012 में आयोजित एक्जिट कान्फ्रैंस, जिसमें कंपनी का एम.डी. और विभागों के अध्यक्ष उपस्थित थे, में चर्चित किए गए थे। प्रबंधन के विचार रिपोर्ट को फाइनल करते समय पूरी तरह से ध्यान में रखे गए हैं।

वन टाइम सैटलमैंट स्कीम

3.2.4 निगम द्वारा ओ.टी.एस. स्कीम, वसूली दरों को सुधारने तथा एन.पी.एज़ को कम करने के लिए वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। सदृश ओ.टी.एस. स्कीम वर्ष 2005 में भी शुरू की गई जो समय-समय पर विस्तारित की गई तथा अन्तिम ऐसा विस्तारण 31 दिसंबर 2009 तक अनुमत किया गया था। आगे, एक नई उदारकृत योजना 'कंप्रोमाइज एन.पी.एज़ एण्ड लॉस एसेटस, 2011' के रूप में ज्ञात 2011 में शुरू की गई तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त हो गई।

31 मार्च 2012 को समाप्त चार वर्षों के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण के निबंधन में बकाया ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्ति वर्गीकरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (अनंतिम)	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
मानक परिसम्पत्तियां *f*	344	123.68	308	107.59	239	73.72	178	46.92
अवमानक परिसम्पत्तियां ♣	46	4.80	25	9.76	14	4.99	16	3.17
संदेहपूर्ण परिसम्पत्तियां ♦	378	60.26	337	52.00	280	43.69	257	41.64
हानि परिसम्पत्तियां	51	5.91	64	7.13	71	12.70	71	11.85
कुल	819	194.65	734	176.48	604	135.10	522	103.58
मानक परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता	-	63.54	-	60.96	-	54.57	-	45.30
अवमानक, संदेहपूर्ण तथा हानि परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता	-	36.46	-	39.04	-	45.43	-	54.70

f मानक परिसम्पत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किस्त 180 दिनों (6 महीने) से कम दिनों के लिए अतिदेय रहती है।

♣ अवमानक परिसम्पत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किस्त 6 महीनों से अधिक 24 महीनों तक अतिदेय रहती हैं।

♦ संदेहपूर्ण परिसम्पत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किस्त 24 महीने से ज्यादा समय के लिए अतिदेय रहती हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अवमानक, संदेहपूर्ण तथा हानि परिसंपत्तियों की प्रतिशतता संवीक्षा अधीन अवधि के दौरान बढ़ रही थी तथा निगम की वसूली स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वसूली के लिए सामयिक तथा प्रभावी उपाय की कमी के कारण ये ऋण संदेहपूर्ण हो गए और अन्ततः ओ.टी.एस. स्कीमों के माध्यम से समायोजित किए गए है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2012 को समाप्त चार वर्षों के दौरान समायोजित मामलों की संख्या, उनके विरूद्ध लंबित राशि, समायोजित राशि तथा माफ की गई राशि दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	निपटान के समय बकाया	वह राशि जिसमें लेखे का निपटान किया गया	बट्टे खाते डाली गई राशि	बट्टे खाते डाली गई राशि की प्रतिशतता	वसूल की गई राशि की प्रतिशतता
2008-09	31	143.24	17.56	125.67	87.74	12.26
2009-10	19	26.79	3.41	23.39	87.29	12.71
2010-11	15	39.16	3.92	35.24	89.99	10.01
2011-12	15	82.34	2.15	80.20	97.39	2.61
कुल	**80**	**291.53**	**27.04**	**264.50**	**90.73**	**9.27**

- उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि चार वर्षों के दौरान माफ की गई कुल राशि ₹ 264.50 करोड़ थी। वार्षिक माफी चौंकाने वाली थी तथा 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान 80 समायोजित मामलों के संबंध में बकाया राशि की प्रतिशतता 87.29 प्रतिशत से 97.39 प्रतिशत तक श्रृंखलित थी। निगम देय राशि का केवल अल्प 9.27 प्रतिशत वसूल कर सका। प्रबंधन ने बताया (जून 2012) कि इकाईयों का आधिपत्य लेने के बाद प्रभार्य ब्याज अप्रयोगमूलक था। उत्तर सही स्थिति का प्रतिबिंब नहीं था क्योंकि निगम ने इकाईयों के वित्तपोषण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से पुनर्वित प्राप्त किया था तथा इसे सिडबी को ब्याज देना पड़ा था जब तक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।

वन टाइम सेटलमेंट स्कीमज (ओ.टी.एस.) के परिणामस्वरूप माफ की गई राशि से सहमत होते समय एम.डी. ने एक्जिट कान्फ्रैंस में बताया कि निगम की वसूली स्थिति सुधारने हेतु ओ.टी.एस. आरंभ की गई थी।

ओ.टी.एस. स्कीम 2005

3.2.5 ओ.टी.एस. स्कीम 2005 उधारकर्त्ता/चूककर्त्ता के लेखाओं को आवृत्त किया जोकि एन.पी.ए. लेखे के रूप में वर्गीकृत किए गए थे, जो 31 मार्च 2012 को संदेहपूर्ण या हानि परिसंपत्तियां बन गए थे। पॉलिसी ने 31 मार्च 2002 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत एन.पी.एज़, जो बाद में संदेहपूर्ण या हानि परिसंपत्ति बन गए तथा सारे हानि लेखे जो 15 जून 2005 को हानि लेखाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए थे, भी आवृत किए। पॉलिसी ने, कार्यचालन पूंजी और सॉफ्ट ऋण, पट्टा सहायता, राज्य परिदान के विरूद्ध प्राप्त किए गए सेतु ऋणों से संबंधित मामले भी आवृत्त किए।

निगम ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 65 मामले समायोजित किए। हमने निम्नलिखित अवलोकित किया:

3.2.6 ***परिशिष्ट II*** में वर्णित 35 मामलों में रिटर्न [∅] की औसत दर प्रतिवर्ष यथानिम्न 0.43 से 8.74 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक श्रृंखलित थी जबकि निगम की उधार की लागत सिडबी से प्राप्त पुनर्वित्त पर 9.95 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2012) यदि समायोजन विलम्ब से किया जाता तो रिटर्न की औसत दर आगे कम हो जाती। यह इस तथ्य का सूचक है कि निगम ने राशि की वसूली के लिए कोई सामयिक कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने यह भी बताया कि निधियों की लागत कम करने के लिए ब्याज की माफी के लिए सिडबी को पहुंच की थी जिस पर निर्णय प्रतीक्षित था (नवंबर 2012)।

3.2.7 ₹ 153.40 करोड़ की चूक राशि से आवेष्टित 37 मामलों में से (मूलधन ₹ 15.28 करोड़ और ब्याज ₹ 138.12 करोड़) 29 मामलों में कोई किस्त भुगतान नहीं की गई थी तथा शेष 8 मामलों में केवल एक किस्त ऋणियों से प्राप्त की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (जून 2012) कि संवितरण के बाद ऋणियों ने 18 महीने की विलंबन अप्रत्याशित अवधि उपयोग की लेकिन कई बार वे अप्रत्याशित वित्तीय या तकनीकी समस्याओं के कारण एक किस्त का भी पुनर्भुगतान करने में विफल रहे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऋणों की संस्वीकृति के समय जांच की गई इकाईयों की व्यवहार्य रिपोर्ट में सारी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखा गया था। परिदृश्य 18 महीनों के अंदर इतनी बुरी तरह से नहीं बदला था कि ऋणी एक किश्त का भी भुगतान न कर सके। आगे, ऋण 1983 से 2002 के दौरान वितरित किए गए जबकि अन्तिम समायोजन 2008 तथा 2010 के दौरान किया गया जो निगम की वसूली करने में रूचि की कमी दर्शाता है।

तीन इकाइयां परिचालित नहीं हो सकी क्योंकि वे तथ्य के बावजूद कि मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित था कि विद्युत सुविधा उपलब्ध होगी, विद्युत सुविधा प्राप्त करने में विफल रही।

3.2.8 तीन परियोजनाओं [ϒ] के मूल्यांकन के समय, यह सुनिश्चित किया गया था कि इकाईयों को विद्युत उपलब्ध थी तथा निगम भी विद्युत सुविधा लेने के लिए प्रयास करती है। इसने 1994 तथा 1998 के दौरान ₹ 14.35 लाख का ऋण वितरित किया। लेकिन यूनिट्स, आपरेट नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने विद्युत सुविधा प्राप्त नहीं की। निगम ने इन मामलों में भी कानूनी पेचीदगियों के कारण प्रतिभूतियों का निपटान नहीं किया। निगम ने ₹ 1.13 करोड़ के देय बकायों (मूलधन और ब्याज) के विरूद्ध ₹ 20.13 लाख हेतु उन्हें समायोजित कर दिए (अक्तूबर 2008 से जून 2009) अत: ₹ 93 लाख का ब्याज छोड़ दिया।

∅ लेखे के वितरण की तारीख से लेखे के अंतिम समायोजन की तारीख तक वितरित राशि पर अर्जित ब्याज, रिटर्न की दर है।

ϒ मैसर्ज-7-भाई आइस प्लांट फरीदाबाद, मैसर्ज नेशनल केमीकल्ज गुडगांव तथा मैसर्ज बिको लक्स ऑटो लैम्पस फरीदाबाद।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रैंस में बताया कि यद्यपि इकाई की कार्यचालन पूंजी का निर्धारण किया गया था, यह अस्तित्व में नहीं आ सकी। इस पर लेखापरीक्षा कार्यालय ने कहा कि तथ्य, कि इकाई कार्य नहीं कर सकी, ने औचित्य प्रतिपादित कर दिया था कि इस संबंध में सही निर्धारण की अनुपस्थिति थी।

कार्यचालन पूंजी आवश्यकता के अनुचित निर्धारण के कारण इकाई परिचालन में नहीं आ सकी।

3.2.9 निगम ने कार्यचालन पूंजी जरूरतों का सही ढंग से निर्धारण किए बिना जुलाई 1995 तथा मई 1996 के दौरान ₹ 9.35 लाख वितरित किए। यूनिट अस्तित्व में नहीं आई। निगम ने गौण प्रतिभूति बेच कर ₹ 6.01 लाख वसूल किए परन्तु मुकदमें के कारण मुख्य प्रतिभूति नहीं बेच सकी। यूनिट किसी राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल हो गई तथा निगम ने ₹ 83.58 लाख का ब्याज छोड़ते हुए जून 2008 में ₹ 10.29 लाख के लिए मामला समायोजित कर दिया।

प्रबंधन ने एक्जिट कांफ्रैंस मे बताया कि यद्यपि इकाई की कार्यचालन पूंजी का निर्धारिण किया गया था, यह अस्तित्व में नहीं आ सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि यदि आरंभिक निर्धारण सही ढंग से किया जाता तो यूनिट अस्तित्व में आ सकती थी।

निगम ने स्वामित्व अधिकारों की बजाय पट्टा अधिकारों के रूप में प्रतिभूति के विरूद्ध ऋण संस्वीकृत किया।

3.2.10 निगम ने वितरित ऋण के विरूद्ध सही तथा पर्याप्त प्रतिभूति लिए बिना मैसर्ज हरियाणा स्ट्रिप्स को गिर्डर तथा इंगोट हॉट स्ट्रीप्स के विनिर्माण के लिए ₹ 1.97 करोड़ की राशि का ऋण वितरित किया (मार्च 1992 से मई 1995)। स्वामित्व अधिकारों की बजाय पट्टेधारी अधिकारों के रूप में प्रतिभूति गलती से स्वीकार की गई। इस गलत निर्णय के कारण, निगम को ₹ 20.50 करोड़ (बकाया राशि ₹ 23.35 करोड़ के ब्याज, ₹ 2.85 करोड़ की समायोजित राशि सहित) छोड़ने पड़े (जून 2008)।

हमने देखा कि यह इकाई निगम के अधिकार में पहले से ही नवंबर 2001 से थी लेकिन इसने अप्रैल से जुलाई 2008 के दौरान केन्द्रीय आबकारी तथा बिक्री कर का भुगतान किया था। यह प्रतीत होता है कि निगम द्वारा यूनिट का आधिपत्य केवल कागजों में था जबकि वास्तविक आधिपत्य ऋणी के साथ जारी हुआ जिसने पब्लिक फंडों की कीमत पर लाभ उठाया। निगम, संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध की गई हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने में विफल रहा।

3.2.11 एक सदृश प्रकरण में निगम ने, ₹ 1.46 करोड़ की प्रतिभूति राशि लेने के बाद मैसर्ज भानू स्टील लिमिटेड को एम.एस. स्टील इंगोट के विनिर्माण हेतु ₹ 78.15 लाख की ऋण राशि वितरित की (अक्तूबर 1992)। यूनिट का आधिपत्य लेने के बाद (नवंबर 2001), निगम प्रतिभूति बेच नहीं क्योंकि यह मुकदमे अधीन थी। इस कारण निगम को ₹ 13.19 करोड़ (ब्याज ₹ 14.32 करोड़, समायोजित राशि ₹ 1.13 करोड़ सहित बकाया राशि) छोड़ने पड़े थे (जून 2008)। तथ्य कि यूनिट ने अवधि 2008-09 के लिए बिक्री कर भुगतान किया था तथा इसके पास जुलाई 2008 तक विद्युत कनैक्शन भी था, स्थिति उत्पन्न करता है कि कंपनी, निगम के ज्ञान के साथ और बिना कार्य कर रही थी। अभिलेखों के अनुसार अप्रैल 2009 में यूनिट का आधिपत्य रीस्टोर किया गया।

हरियाणा स्ट्रिपस एण्ड भानु स्टील लिमिटेड के संबंध में, प्रबंधन एक्जिट कान्फ्रैंस में लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति से सहमत हो गए तथा बताया कि निगम के आधिपत्य में इकाईयों के होने के बावजूद यूनिटस द्वारा उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के भुगतान संबंधी मामला ऋणियों के साथ उठाया जाएगा तथा स्थिति लेखापरीक्षा को सूचित की जाएगी, जो प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2012)।

3.2.12 अन्य मामले[f] में, निगम ने ₹ 7.50 लाख की हानि उठाई जहां ऋणों को जुलाई 1990 में ₹ 2.94 लाख का ऋण संस्वीकृत किया था। ऋणी चूक में गया तथा निगम ने गौण प्रतिभूति बिक्रय नहीं की क्योंकि निदेशक मंडल ने लघु उधारकर्ताओं, जिन्होंने ₹ 10 लाख तक ऋणों के लाभ प्राप्त किए थे तथा जहां मामले, निगम द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूति के उच्चतर मूल्य ध्यान में रखते हुए समायोजित नहीं किए जा सके हेतु एक निति प्रतिपादित करने की इच्छा व्यक्त की थी। हमने अवलोकित किया कि ऐसी कोई पॉलिसी निगम द्वारा अभी तक बनाई नहीं गई है (जून 2012)। प्रबंधन ने बताया कि संपति की बिक्री द्वारा वसूली उधारकर्ता के सारे परिवार को मुसीबत में डाल देगी। उत्तर तथ्य का सूचक था कि निगम ने अपने कार्यकलापों को हैंडल करते समय अपने वाणिज्यिक हित को ध्यान में नहीं रखा था।

निगम, दोषपूर्ण दस्तावेज के कारण अपने देयों की वसूली हेतु गौण प्रतिभूति विक्रय नहीं कर सका।

3.2.13 मैसर्ज प्रेम मेटल उद्योग, सोनीपत के मामले में निगम ने तीन लोनज वितरित किए – ₹ 5.16 लाख का अवधि ऋण (लेखा I), ₹ 1.87 लाख (लेखा II) का कार्यचालन पूंजी ऋण तथा ₹ 2.19 लाख का अतिरिक्त अवधि ऋण (लेखा III)। दूसरा ऋण इस शर्त के साथ संस्वीकृत किया गया कि पहले लोन के विरूद्ध प्रतिभूति बढ़ाने पर यह वितरित किया जाएगा। इस संबंध में उधारकर्ता द्वारा वचनबद्धता दी गई थी। ऋण राशि के भुगतान में विफल होने पर, निगम ने गौण प्रतिभूति का परिकल्पित आधिपत्य लिया (16 अक्तूबर 2006) लेकिन गौण प्रतिभूति पर प्रभार के सृजन संबंधी प्रलेखन की कमी के कारण यह इसे नहीं भुना सकी। गौण प्रतिभूति का निर्धारित मूल्य ₹ 98.90 लाख था तथा ऋण (लेखा II तथा III) ₹ 23.18 लाख छोड़ते हुए ₹ 4.51 लाख पर ओ.टी.एस के अंतर्गत समायोजित कर दिए गए।

3.2.14 निगम ने ₹ 1.82 करोड़ (अवधि ऋण I: ₹ 85.45 लाख, अवधि ऋण II: ₹ 7.70 लाख तथा अवधि ऋण III: ₹ 89.25 लाख मार्च 1993 तथा अक्तूबर 1996 के दौरान) मैसर्ज बी.आर. सीमेंटस, अंबाला को तथा ₹ 76.09 लाख (अवधि ऋण: ₹ 62.69 लाख, अतिरिक्त अवधि ऋण: ₹ 2.80 लाख तथा सेतु ऋण: ₹ 10.60 लाख जुलाई 1993 तथा मार्च 1996 के दौरान) मैसर्ज हरियाणा ट्रांसमिशन, बहादुरगढ़ को वितरित किए। चूक के कार ा, निगम ने जून 2008 को ₹ 21.12 करोड़ (मैसर्ज बी.आर. सीमेंटस, अंबाला ₹ 9.29 करोड़ तथा मैसर्ज हरिया ा ट्रांसमिशन, बहादुरगढ़ ₹ 11.83 करोड़) की राशि बकाया छोड़ते हुए ₹ 93.60 लाख (मैसर्ज बी.आर. सीमेंटस, अंबाला ₹ 60 लाख तथा मैसर्ज हरियाणा ट्रांसमिशन, बहादुरगढ़ ₹ 33.60 लाख) के लिए इन यूनिटस की प्राथमिक प्रतिभूतियों का

[f] श्री सतबीर सिंह, पटियाला।

निपटान कर दिया। निगम ने, पहले दृष्टान्त में अवधि ऋण-I अर्थात् ₹ 2.29 करोड़ पर तीन मामले समायोजित करने की अपनी नीति के उल्लंघन में ऋणियों के अनुरोध पर तीनों लोन अकाउंट में प्रत्येक में आनुपातिक रूप से प्रमुख प्रतिभूति के बिक्री लाभ विनियोजित करके ₹ 1.99 करोड़ पर (मैसर्ज बी.आर. सीमेंटस, अंबाला ₹ 1.16 करोड़ तथा मैसर्ज हरियाणा ट्रांसमिशन, बहादुरगढ़ ₹ 83.46 लाख) दो मामले ♦ समायोजित कर दिए (जून 2008)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.41 लाख की कम वसूली हुई।

3.2.15 यदि ओ.टी.एस. की शर्तें पूरी नहीं की जाती, तो इस स्कीम के लाभ जब्त कर लिए जाएंगे तथा इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त धन ऐसा माना जाना था जैसे वह नार्मल कोर्स में प्राप्त हुआ था। हमने देखा कि निगम ने ओ.टी.एस. 2005 के अर्न्तगत ₹ 1.17 करोड़ के लिए दो मामले अर्थात् (मैसर्ज किशकंधा फूडस, जीन्द तथा मैसर्ज वीवो कैमीकल्ज, जीन्द) क्रमश: जनवरी 2007 तथा अगस्त 2008 में समायोजित किए तथा ऋणियों ने शुरू में ₹ 32.90 लाख जमा किए लेकिन ₹ 84 लाख की शेष राशि जमा नहीं करवाई तथा परिणामस्वरूप निगम ने समायोजन रद्द कर दिया। बाद में, दोनों ऋणियों ने 2009 में समायोजन के लिए पहुंच की तथा निगम ने उसे स्वीकार कर लिया। समायोजन राशि परिकलित करते समय, इसने ₹ 32.90 लाख को, इन दो ऋणियों द्वारा पहले से ही भुगतान किया गया माना यद्यपि इसकी अपनी नीति के अनुसार, इसे इस राशि को जब्त करना था। इसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 32.90 लाख की हानि हुई।

प्रेम मेटल उद्योग, बी.आर. सीमेंटस, किष्किंधा फूडज तथा वीवो केमिकल्ज के प्रकरणों में प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में बताया कि निदेशक मण्डल (बी.ओ.डीज) को ओ.टी.एस. में आवश्यक छूट अनुमोदित करने हेतु अधिकार प्राप्त थे। यह अवलोकित किया जाता है कि ऐसा करने से, ए.सी. स्कीमों को बनाने का मूल प्रयोजन विफल किया गया।

हानि परिसंपतियों का समायोजन

निगम ने, ₹ 16.37 करोड़ के प्रत्याशित मूल्य के विरूद्ध ₹ 3.99 करोड़ पर मुख्य/गौण प्रतिभूति का निपटान कर दिया।

3.2.16 34 मामलों में, निगम ने मुख्य/गौण प्रतिभूति ₹ 16.37 करोड़ के उनके स्वीकृत मूल्य के विरूद्ध ₹ 3.99 करोड़ पर निपटान कर दिया। 25 मामलों, जिनमें निर्धारण किया गया था, में इन प्रतिभूतियों का निर्धारित मूल्य ₹ 6.34 करोड़ था तथा शेष 9 मामलों में निर्धारण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, यह प्रतिभूतियों के निपटान से, प्रतिभूतियों के स्वीकृत मूल्य का केवल 27.27 प्रतिशत वसूल कर सकी। इसने सूचित किया कि स्वीकृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनकी स्वीकृति के समय सही ढंग से नहीं किया गया था।

♦ मैसर्ज बी.आर. सीमेंट, अंबाला तथा मैसर्ज हरियाणा ट्रांसमिशनज, बहादुरगढ़।

दो मामलों[¢] में, ₹ 6.74 लाख मूल्य की मशीनरी/उपकरण/स्टाकस से समायुक्त प्रतिभूति का एक भाग गुम था जिसके लिए पुलिस के पास शिकायतें दर्ज कराई गई। यद्यपि, न तो परिसंपत्तियां वसूल की गई थी और न ही कोई अनुवर्तन अभिलेख में उपलब्ध था। जबकि अन्य दो मामलों[¥] में आधिपत्य लेते समय उपकरण लुप्त थे लेकिन गुम हुई प्रतिभूतियों के मूल्य निगम द्वारा सुनिश्चित नहीं किए गए थे। हानि परिसम्पत्तियों के समायोजन के संबंध में प्रबंधन एक्जिट कान्फ्रेंस में लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों से सहमत हो गए थे।

ओ.टी.एस. स्कीम 2011

3.2.17 ओ.टी.एस. स्कीम 2011 के अन्तर्गत, एन.पी.ए.[∞] लेखे जो 31 मार्च 2008 को संदेहपूर्ण या हानि बन गए थे, आवृत्त थे। संदेहपूर्ण[∂] तथा हानि[≠] लेखे बिक्री लाभ विविध व्ययों, प्रिंसिपल तथा ब्याज के क्रम में विनियोजित करके सुधार किए जाने थे। समायोजन राशि पर पहुंचते समय बंधित संपत्तियों की शुद्ध वसूलीयोग्य कीमत गणना में ली जानी थी।

3.2.18 निगम ने मैसर्ज आर.सी.सी. सीमेंटस, गुड़गांव को ₹ 1.89 करोड़ वितरित किए इसके अतिरिक्त दिसंबर 1992 तथा मई 1996 के दौरान ₹ 15 लाख की साम्या सहायता प्रदान की। यूनिट आरंभ से (दिसंबर 1996) चूक में थी तथा निगम ने इकाई का आधिपत्य लिया तथा दिसंबर 2002 में इसकी बिक्री से ₹ 61.95 लाख प्राप्त किए।

निगम ने गौण प्रतिभूति का परिकल्पित आधिपत्य[Σ] लिया तथा ₹ 18 लाख के लिए बेच दिया। यूनिट ने ओ.टी.एस., 2005 के अन्तर्गत समायोजन के लिए (अप्रैल 2010) अर्थात मुख्य तथा गौण प्रतिभूति के निपटान से प्रिंसीपल घटा विक्रय लाभ, के लिए पहुंच की। यूनिट द्वारा जमा करवाई गई कुल अपफ्रंट फीस[∇] ₹ 16.62 लाख थी। बिक्री लाभ पहले से ही प्राप्त राशि समायोजित करने के बाद कुल बकाया मूल राशि ₹ 1.73 करोड़ थी। ओ.टी.एस. 2005 के

¢ मैसर्ज विवो कैमीकल्ज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जींद तथा मैसर्ज पदमा मशरूमज प्राइवेट लिमिटेड सोनीपत।

¥ मैसर्ज जय मां इंडस्ट्रीज, पानीपत तथा मैसर्ज पदमा मशरूमज प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत।

∞ अनिष्पादक परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त 90 दिनों से ज्यादा के लिए अतिदेय रहती है।

∂ संदेहपूर्ण परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त 18 महीनों से ज्यादा के लिए अतिदेय रहती है।

≠ हानि परिसंपत्तियां वे हैं जिनके संबंध में (दोनों मुख्य तथा गौण प्रतिभूति) निगम के साथ प्रतिभूतियों का निपटान कर दिया गया है बिक्री अनुबंध निष्पादित किया जाना बाकी है तथा बिक्री राशि का 100 प्रतिशत निगम द्वारा अपनी वसूली प्रक्रिया में प्राप्त किया जाना बाकी है।

Σ केवल पेपर आधिपत्य।

∇ अनुमोदित समायोजित राशि के विरूद्ध समायोज्य लेखे के समायोजन हेतु आवेदन-पत्र के साथ ऋणी द्वारा जमा की गई राशि।

अनुसार, मामला ₹ 1.73 करोड़ के लिए समायोजित किया जाना चाहिए था। इतने समय में, निगम द्वारा नई ओ.टी.एस. पॉलिसी 2011 भी शुरू कर दी गई थी। इस स्कीम के अनुसार, समायोजन राशि ₹ 1.39 करोड़ परिकलित की गई। मामला ₹ 77.16 लाख पर समायोजित किया गया (दिसंबर 2011)। निगम ने इस प्रकार, ₹ 61.40 लाख (₹ 138.56 लाख - ₹ 77.16 लाख) हानि की।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में बताया कि निदेशक मण्डल (बी.ओ.डीज) को, ओ.टी.एस. में आवश्यक छूट अनुमोदित करने हेतु अधिकार प्राप्त थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि ऐसा करके स्कीमों का मूल प्रयोजन विफल कर दिया गया।

सामान्य

3.2.19 राज्य की औद्योगिक वृद्धि में इसकी देन के निर्धारण हेतु वित्तपोषित इकाइयों की वर्तमान स्थिति संबंधी कोई डाटा बैंक निगम द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था। निगम ने उत्तर दिया कि यह, अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण यथा विचारित अपनी सूचना प्रौद्योगिकी योजना को कार्यान्वित नहीं कर सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निगम ने इसके आरंभ से ही वित्तपोषित इकाइयों के संबंध में कोई डाटा नहीं रखा था।

मामला जुलाई 2012 में सरकार को भेज दिया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकट हैं:

- **अनुपयुक्त/अपर्याप्त प्रतिभूतियों की स्वीकृति से युग्मित ऋणों के अनुपयुक्त/अपर्याप्त मूल्यांकन तथा गुम संपत्तियों को दोबारा प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की कमी के कारण ₹ 35.61 करोड़ को छोड़ते हुए ओ.टी.एस. के अंतर्गत मामलों का समायोजन हुआ।**

- **ओ.टी.एस. के प्रावधान के उल्लंघन में ओ.टी.एस. के अंतर्गत ₹ 1.46 करोड़ छोड़ते हुए निगम ने ₹ 3.98 करोड़ के ऋण समायोजित किए।**

- **प्रतिभूतियों का भौतिक आधिपत्य सुनिश्चित करने के लिए निगम के पास कोई प्रणाली नहीं थी।**

- **एन.पी.एज. का स्तर उच्च था तथा कलैक्टरज के माध्यम से पुराने देयों की वसूली की प्रक्रिया अप्रभावी तथा बहुत धीमी थी।**

- **पुराने देयों की वसूली हेतु, उनकी उपलब्धि मॉनीटर करने के लिए कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।**

- **औद्योगिक वृद्धि पर वित्तीय सहायता के प्रभाव को मूल्यांकन हेतु निगम ने कोई यंत्रावली नहीं बनाई थी।**